

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रामानुजनगर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)
क्रमांक 205/वाचक/2025

रामानुजनगर, दिनांक 19/03/2025
रा0प्र0क0.-202503263400012
अ-62/2024-25

प्रारूप-ड.
(नियम 7(2) देखिये)
अनुशंसा

प्रति,

बोधन राम...उम्र.....
पिता/पति...दलेलराम...वर्ग...अन्य पिछड़ा..
ग्राम...गोपीपुर...पटवारी ह0नं0...08.
तह0...रामानुजनगर...थाना...रामानुजनगर..
जिला...सूरजपुर (छ.ग.).....

विषय:- रोपित वृक्षों की कटाई हेतु अनुशंसा।

विषयान्तर्गत आपका आवेदन दिनांक 13/03/2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 15/23/2025 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18/03/2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु युकेलिप्टस के वृक्ष की संख्या 30 है।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि खसरा नंबर 211/7.. रकबा 0.0600 हे० ग्राम...गोपीपुर...पटवारी ह0नं0...08...तह0...रामानुजनगर...स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति युकेलिप्टस...एवं संख्या (कमश:) 30...है, को काटे जाने पर संहिता के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुशंसा अभिव्यक्त की जाती है।

छ.ग. वनउपज (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1969 (क. 9 सन 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छ.ग. परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (राज.)
अनुमिष्टाधिकारी रा0
रामानुजनगर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)
रामानुजनगर, दिनांक 19/03/2025

पृष्ठ क्रमांक 205/वाचक/2025
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला...सूरजपुर की ओर सूचनार्थ।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल...रामानुजनगर...को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार, तहसील...रामानुजनगर...को वृक्ष कटाई के पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

प्रशस्त किया

शिवशंकर

अनुविभागीय अधिकारी (राज.)
अनुमिष्टाधिकारी रा0
रामानुजनगर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)
रामानुजनगर, दिनांक 19/03/2025